

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-4418/2022

सुनिता कुमारी (कर्मचारी आई.डी.-आरजेजेजे201623009324)

—अपीलार्थी

### बनाम

सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.09.2022

आदेश की दिनांक : 31.10.2022

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री जावेद अहमद, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
एम.एस. काला, सदस्य

### आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर प्राथमिक स्वा. केन्द्र, केहरपुरा कलां, खण्ड चितावा, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन से उप जिला अस्पताल, सालावास, जिला जोधपुर में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है, जो अनुचित है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण अन्य कार्मिक को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए राजनीतिक कारणों से किया गया है, जो अनुचित है। अपीलार्थीया का स्थानांतरण शैक्षणिक सत्र के मध्य किया गया है तथा अपीलार्थीया के बच्चे अध्ययनरत है। अतः शैक्षणिक सत्र के मध्य किया गया स्थानांतरण, स्थानांतरण नीति के खिलाफ है। अपीलार्थीया के पति भारतीय वायु सेना में कार्यरत है तथा अपीलार्थीया के पति वर्तमान में को-लोकेशन ग्राउण्ड पर बीकानेर में पदस्थापित है तथा उक्त को-लोकेशन के तहत अपीलार्थीया के पति कमांडिंग ऑफिसर द्वारा एक पत्र बाबत बीकानेर पोस्टिंग

हेतु प्रत्यर्थीगण को प्रेषित किया था। उसके पश्चात भी अपीलार्थीया का स्थानांतरण बीकानेर एयरफोर्स स्टेशन के आस-पास नहीं किया गया है। जबकि केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार वायु सेना में सेवारत व्यक्ति अपने सर्विस के दौरान एक बार तीन वर्ष का को-लोकेशन करवा सकता है। जिससे पति-पत्नी दोनों एक ही जगह पर पदस्थापित किया जा सकता है। किंतु अपीलार्थीया के द्वारा विभाग को उक्त बाबत निवेदन करने के पश्चात भी आज तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। अतः उक्त स्थानांतरण निरस्त किये जाने योग्य है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)

